न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 171/2025

पप्पूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र लगभग 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

अप्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 17.12.2025

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी पप्पूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र लगभग 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरियाँ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला है। प्रार्थी के नाम ग्राम टोंकडा, पटवार हल्का टोंकडा, भू. अभि. निरिक्षक क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान मे खाता संख्या नया 151 व खाता संख्या पुराना 109 व खसरा संख्या 279/66 रकबा 0. 8090 हैक्टेयर, किस्म बंजर 1. व बारानी 1. स्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम सांवतसर, पटवार हल्का सांवतसर, भूअभि. निरिक्षक क्षेत्र किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड, नया खाता संख्या 89 व पुराना खाता संख्या 89, खसरा संख्या 159, रकबा 1.5371 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम नाबालिग अवस्था में गिरधारी पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया दर्ज हो रखा है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी का नाम वर्तमान में सभी जगह दस्तावेजों में राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि में पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, ही दर्ज है। जब कि ग्राम सांवतसर स्थित उपरोक्त कृर्षि आराजी भूमि कि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम उसके पिता ने वचपन के बोलते नाम गिरधारी पुत्र लक्ष्मण के नाम से दर्ज करवा दिया जो कि गलत है एवं प्रार्थी अपना नाम गिरधारी के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण दर्ज करवाकर ग्राम सांवतसर के उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करवाना चाहता है। क्योंकि प्रार्थी का वर्तमान में सभी जगह दस्तावेजों में व प्रार्थी की पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम टोंकडा, तहसील किशनगढ़ स्थित कृर्षि आराजी भूमि में भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत के राशनकार्ड व आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया के रूप में दर्ज चला आ रहा है। तथा ग्राम पंचायत तिलोनिया के प्रशासक सरपंच द्वारा दिनांक 10.06.2025 को जारी किया गया प्रमाण पत्र के आधार पर भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल गुर्जर ही है। प्रार्थी का नाम ग्राम सांवतसर स्थित उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलती व भूलवश बचपन में नाबालिग अवस्था में उसके पिता द्वारा लिखवाया नाम गिरधारी पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, का शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर निवासी मण्डवारिया तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के रूप में दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र नाम शुद्धिकरण हेतु पैश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त तथ्यों व साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण गिरधारी से पप्पूलाल गुर्जर करने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय, किशनगढ भूमिधारी एवं राजस्व रिकार्ड होल्डर है। एवं श्रीमान के शुद्धिकरण के आदेश कि पालना करने के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

है। इसलिए उन्हें प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। श्रीमान से है कि ग्राम सांवतसर स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा संख्या 3 मे वर्णित खाता संख्या व आराजी के राजस्व रिकार्ड कि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण कर गिरधारी की जगह प्पूलाल करने के आदेश अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ को प्रदान करने कि कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई।

दिनांक 26.08.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम सांवतसर की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 159 रकबा 1.5371 हैक्टेयर पर नाबालिग गिरधारी पुत्र लक्ष्मण संरक्षक सरपरस्त पिता लक्ष्मण वल्द भैंरू हिस्सा पूर्ण गुर्जर मण्डावरिया खातेदार दर्ज है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

दिनांक 17.12.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुय निवेदन किया कि श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम सांवतसर स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा संख्या 3 मे वर्णित खाता संख्या व कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड कि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण कर गिरधारी की जगह पप्पूलाल करने के आदेश अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ को प्रदान करने कि कृपा करावें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वादअधीन भूमि ग्राम सांवतसर स्थित भूमि खाता संख्या 89 खसरा संख्या 159 रकबा 1.5371 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम नाबालिग गिरधारी के स्थान पर पप्पूलाल का अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजात पंचायत तिलोनिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक/कार्या.ग्रा.प.ति दिनांक 10.06.2025 में पंचायत द्वारा पप्पूलाल व गिरधारी एक ही होना बताया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 779140847246 में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण दर्ज है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या RJ/12/094/285309 में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण दर्ज है, साथ ही प्रार्थी द्वारा इस आशय हेतु प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा शपथपूर्वक बयान किया है कि गिरधारी के स्थान पर पप्पूलाल कर दिया जावे। दस्तावेजात के अवलोकन से ताईद है कि गिरधारी के स्थान पर पप्पूलाल किया जाना न्यायौचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार करती है। तहसीलदार किशनगढ को आदेश दियें जातें है कि ग्राम सांवतसर के खसरा संख्या 159 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2068–71)जमाबन्दी सम्वत 2077 वर्ष 2020 से स्थाई में "नाबालिग गिरधारी पुत्र लक्ष्मण" के स्थान पर प्रार्थी "पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण" के नाम का अंकन करें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश हमारे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

ADV कानाराम मीणा ने पेश किया। रीडर रिपोर्ट करें 15/7/25

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17 /2025

पप्पूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र लगभग 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरियॉ, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार महोदय किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नाम शुद्धिकरण R/W 151 C.P.C.

महोदय,

प्रार्थी कि और से निम्न निवेदन है :–

1. यह कि प्रार्थी पप्पूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र लगभग 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरियॉ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला है।

2. यह कि प्रार्थी के नाम ग्राम टोंकडा, पटवार हल्का टोंकडा, भू.अभि.निरिक्षक क्षैत्र खातोली, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान मे खाता संख्या नया 151 व खाता संख्या पुराना 109 व खसरा संख्या 279/66 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, किस्म बंजर 1, व बारानी 1, स्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि ग्राम सांवतसर, पटवार हल्का सांवतसर, भू.अभि.निरिक्षक क्षैत्र किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड

पप्पूलाल

नया खाता संख्या 89 व पुराना खाता संख्या 89, खसरा संख्या 159, रकबा 1.5371 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम नाबालिग अवस्था में गिरधारी पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया दर्ज हो रखा है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

4. यह कि प्रार्थी का नाम वर्तमान में सभी जगह दस्तावेजों में राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि में पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, ही दर्ज है। जब कि ग्राम सांवतसर स्थित उपरोक्त कृषि आराजी भूमि कि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम उसके पिता ने बचपन के बोलते नाम गिरधारी पुत्र लक्ष्मण के नाम से दर्ज करवा दिया जो कि गलत है एवं प्रार्थी अपना नाम गिरधारी के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण दर्ज करवाकर ग्राम सांवतसर के उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करवाना चाहता है। क्यों कि प्रार्थी का वर्तमान में सभी जगह दस्तावेजों में व प्रार्थी की पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम टोंकडा, तहसील किशनगढ स्थित कृषि आराजी भूमि में भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया, खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है।

5. यह कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत के राशनकार्ड व आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरिया के रूप में दर्ज चला आ रहा है। तथा ग्राम पंचायत तिलोनिया के प्रशासक सरपंच द्वारा दिनांक 10.06.2025 को जारी किया गया प्रमाण पत्र के आधार पर भी प्रार्थी का नाम पप्पूलाल गुर्जर ही है।

6. यह कि प्रार्थी का नाम ग्राम सांवतसर स्थित उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलती व भूलवश बचपन में नाबालिग अवस्था में उसके पिता द्वारा लिखवाया नाम गिरधारी पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर, का शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति गुर्जर निवासी मण्डावरिया तहसील किशनगढ, जिला अजमेर के रूप में दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र नाम शुद्धिकरण हेतु पैश करना आवश्यक हुआ है।

7. यह कि उपरोक्त तथ्यों व साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण गिरधारी से पप्पूलाल गुर्जर करने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पप्पूलाल

8. यह कि अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय, किशनगढ भूमिधारी एवं राजस्व रिकार्ड होल्डर है। एवं श्रीमान के शुद्धिकरण के आदेश कि पालना करने के अधिकारी है। इसलिए उन्हें प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र पर निर्धारित न्याय शुल्क चस्पा है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र कि सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान को प्राप्त है।

11. प्रार्थना प्रार्थी निम्न प्रकार है:–

(i) अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम सांवतसर स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा संख्या 3 मे वर्णित खाता संख्या व कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड कि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण कर गिरधारी की जगह पप्पूलाल करने के आदेश अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ को प्रदान करने कि कृपा करावें।

(ii) अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवाने कि कृपा करें।

किशनगढ

दिनांक 15/7/2025

पप्पूलाल

प्रार्थी

एडवोकेट

जानाराम मीणा

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2025

शपथ पत्र

मैं पप्पूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, उम्र लगभग 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी मण्डावरियाँ, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान का रहने वाल हूँ एवं शपथ पूर्वक निम्नांकित कथन करता हूँ :–

1. यह कि शपथकर्ता ने श्रीमान के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते नाम शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत किया है। जिसके पैरा संख्या 1 लगायात 7 मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। तथा पैरा संख्या 8,9,10, कानूनी है। जो विधिक सलाह के अनुसार सही है। तथा पैरा संख्या 11 प्रार्थना प्रार्थीय है। जो स्वीकार फरमाई जावे।

2. यह शपथ पत्र में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ...... /25 के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावे।

किशनगढ
दिनांक 15-7-25

पहचानकर्ता
नाना राम मीणा
एडवोकेट

पप्पूलाल
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता पैरा संख्या 1 लगायात 2 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही सत्यापित करता हूँ।

किशनगढ
दिनांक 15-7-25

पप्पूलाल
सत्यापनकर्ता

S.No. 1193 Date 15-7-25 Time 1:15
Affidavit duly sworn before me by
Shri पप्पूलाल
S/o श्री लक्ष्मण गुर्जर मण्डावरियाँ
who is identified by Shri. नाना राम मीणा एड.
& who is personally known to me
[signature]
Oath Commissioner Kishangarh